

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b> 1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Chairman 2. Joint Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Member 3. Deputy Director or an officer of equivalent level from any other Defence establishment — Member <b>Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</b> 1. Director from HQ Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Chairman 2. Joint Director or an officer of equivalent level from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance — Member 3. Deputy Director or an officer of equivalent level from any other Defence establishment — Member	Consultation with UPSC is not necessary.

[F. No. 4741/RR/Chargeman/DGAQA/ADM-II/D(HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 जून, 2018

**का.नि.आ. 74.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित (अनुसचिविय) भर्ती नियम, 2015 को उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय में समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद (अनुसचिविय) के लिए पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय, समूह 'क' और 'ख' राजपत्रित पद (अनुसचिविय) भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता :** वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।



**5. शिथिल करने की शक्ति :** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रेणी-2	01*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसूचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (56100-177500 रु.) में स्तर-10	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स (44900-142400-रु) में स्तर-7 में ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जिसने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने प्रशासन और स्थापन के क्षेत्र में 2-4 सप्ताहों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया हो।  <b>टिप्पण :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<b>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग —अध्यक्ष 2. अपर महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय —सदस्य 3. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से उप सचिव या समतुल्य विभाग —सदस्य <b>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</b> 1. अपर महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय —अध्यक्ष 2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग से उप सचिव या समतुल्य —सदस्य 3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से उप-निदेशक या समतुल्य —सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(2) प्रशासनिक अधिकारी	03*(2018) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (44900-142400रु) में स्तर-7	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	<b>प्रोन्नति:</b> वेतन मैट्रिक्स (35400-112400रु) में स्तर-6 में कार्यालय अधीक्षक और भंडार पर्यवेक्षक जिसने श्रेणी-I में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिसने प्रशासन और स्थापना के क्षेत्र में 2-4 सप्ताह प्रशिक्षण सफलतापूर्वक किया गया हो। <b>टिप्पण 1 :</b> प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची पोषक श्रेणियों अर्थात् कार्यालय अधीक्षक भंडार पर्यवेक्षक श्रेणी-I कर्मचारियों की परस्पर ज्येष्ठता का सम्यक्तः ध्यान रखते हुए संबंधित श्रेणी में या पद पर विहित अर्हक सेवा के कर्मचारियों द्वारा पूरा करने की तारीख के प्रतिनिर्देश से तैयार की जाएगी। <b>टिप्पण 2 :</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो,



			वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलातापूर्वक पूरी कर ली हो।
--	--	--	---

(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
1. अपर महानिदेशक, वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय -अध्यक्ष	
2. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से निदेशक - सदस्य	
3. वैमानिक गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय से संयुक्त निदेशक - सदस्य	

[फा. सं. 2523/आर.आर.(ग्रुप 'ए' और 'बी') सचिवालय/डी.जी.ए.क्यू.ए./प्रशासन-II/डी (एच ए एल)]

इन्द्रजीत सेठी, अवर सचिव

New Delhi, the 19th June, 2018

**S.R.O. 74.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Groups 'A' and 'B' Gazetted Posts (Ministerial) Recruitment Rules, 2015, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Groups 'A' and 'B' Gazetted Posts (Ministerial), in the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, namely:-

1. **Short title and commencement .-** (1) These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance, Groups 'A' and 'B' Gazetted Posts (Ministerial) Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.-** The number of the said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.-**No person,-

- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.



6. **Saving.**— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen, the Other Backward Classes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Senior Administrative Officer Grade-II	01*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service (Group 'A' Gazetted, Ministerial)	Level 10 in the Pay Matrix (Rs 56100-177500)	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or absorption or deputation to be made
(9)	(10)	(11)
Two years	By promotion	<p><b>Promotion :</b> Administrative Officer in Level 7 in the pay matrix (Rs 44900-142400) with three years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training in the field of Administration and Establishment.</p> <p><b>Note .-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>



If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Chairman or Member, Union Public Service Commission – Chairman.</li> <li>Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance – Member.</li> <li>Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence, Department of Defence Production – Member.</li> </ol> <b>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering Confirmation) consisting of:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance – Chairman.</li> <li>Deputy Secretary or equivalent from Ministry of Defence, Department of Defence Production – Member.</li> <li>Deputy Director or equivalent from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance – Member.</li> </ol>	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Administrative Officer	03*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'B' Gazetted, Ministerial)	Level 7 in the Pay matrix (Rs 44900-142400)	Selection

(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(9)	(10)	(11)
Not applicable	By promotion	<b>Promotion :</b> Office Superintendent and Store Supervisor Grade-I in Level 6 in the pay matrix (Rs 35400-112400) with five years regular service in the grade and having successfully completed 2-4 weeks training in the field of Administration and Establishment. <b>Note 1 .-</b> The eligibility list for promotion shall be prepared with reference to the date of completion by the employees of the prescribed qualifying service in the respective grade or post with due regard to the inter-se seniority of employee in feeder grades namely Office Superintendent and Store



		Supervisor Grade-I. <b>Note 2.-</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.
--	--	---

(12)		(13)
<b>Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</b>		Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.
1. Additional Director General, Aeronautical Quality Assurance	— Chairman.	
2. Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	— Member.	
3. Joint Director from Directorate General of Aeronautical Quality Assurance	— Member.	

[F. No. 2523/RRs (Gp 'A' &amp; 'B') Ministerial/DGAQA/Adm-II/D (HAL)]

INDERJEET SETHI, Under Secy.